प्रेषक,

आयुक्त एंव निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0,कानपुर।

सेवा में,

विशेष सचिव,
हथकरघा वस्त्रोद्योग विभाग,
उ0प्र0 शासन, सचिवालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रॉक 663 /ह0क0–नियो0/एस.सी.पी./2018–19 कानपुरः दिनॉकः 20 अगस्त, 2018

विषयः– अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की भविष्य में प्रस्तावित योजना की रूपरेखा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक 1417/63–व0उ0–2018 दिनांक 24.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की दिनांक 30.06.2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं भविष्य में प्रस्तावित योजना की रूपरेखा उपलब्ध कराने विषयक है।

जिसके क्रम में वॉछित सूचना निदेशालय के पत्र सं0–549/ह0क0–नियो0/एस.सी.पी./2018–19 दि0 25.07.2018 को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित की जा चुकी है। उक्त के क्रम में शासन के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की भविष्य में प्रस्तावित योजना "झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना(एस0सी0पी0 )" का दिशा निर्देश सम्बन्धी प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावित योजना **"झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना(एस0सी0पी0 )"** से सम्बन्धित गाइडलाइन्स एवं योजना शासन से अनुमोदित कराने का कष्ट करें, ताकि अगले वित्तीय वर्ष से योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति बुनकरों को लाभान्वित कराया जा सके।

संलग्नकः– **उपरोक्तानुसार**

भवदीय,

(आनन्द मोहन)
संयुक्त आयुक्त,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0।

पृ0प0सं0 664 /ह0क0–नियो0/एस.सी.पी./2018–19 कानपुरः दिनॉकः 20 अगस्त,2018

उपरोक्त की प्रतिलिपि :–संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन,कार्यक्रम कियान्वयन विभाग के पत्र संख्या–1546/31–2018– विविध(मु0मं0) दिनांक 24.07.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(आनन्द मोहन)
संयुक्त आयुक्त,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0।

प्रेषक,

आयुक्त एंव निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0,कानपुर।

सेवा में,

विशेष सचिव,
हथकरघा वस्त्रोद्योग विभाग,
उ0प्र0 शासन, सचिवालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रॉक 663 /ह0क0–नियो0/एस.सी.पी./2018–19 कानपुरः दिनॉकः 20 अगस्त, 2018

विषयः– अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यकमों की भविष्य में प्रस्तावित योजना की रूपरेखा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक 1417/63–व0उ0–2018 दिनांक 24.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यकमों की दिनांक 30.06.2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं भविष्य में प्रस्तावित योजना की रूपरेखा उपलब्ध कराने विषयक है।

जिसके कम में वॉछित सूचना निदेशालय के पत्र सं0–549/ह0क0–नियो0/एस.सी.पी./2018–19 दि0 25.07.2018 को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित की जा चुकी है। उक्त के कम में शासन के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यकमों की भविष्य में प्रस्तावित योजना "झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना(एस0सी0पी0 )" का दिशा निर्देश सम्बन्धी प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावित योजना **"झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना(एस0सी0पी0 )"** से सम्बन्धित गाइडलाइन्स एवं योजना शासन से अनुमोदित कराने का कष्ट करें, ताकि अगले वित्तीय वर्ष से योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति बुनकरों को लाभान्वित कराया जा सके।

संलग्नकः– **उपरोक्तानुसार**

भवदीय,

(आनन्द मोहन)
संयुक्त आयुक्त,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0।

पृ0प0सं0 664 /ह0क0–नियो0/एस.सी.पी./2018–19 कानपुरः दिनॉकः 20 अगस्त,2018

उपरोक्त की प्रतिलिपि :–संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन,कार्यकम कियान्वयन विभाग के पत्र संख्या–1546/31–2018– विविध(मु0मं0) दिनांक 24.07.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(आनन्द मोहन)
संयुक्त आयुक्त,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0।

## झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना(एस0सी0पी0 )

प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को, राष्ट्रीय एवं वैश्विक वस्त्रों की मॉग के अनुरूप वस्त्र उत्पादन एवं हथकरघा तथा पावरलूम के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को, प्रोत्साहित किया जाना नितान्त आवश्यक है। योजनान्तर्गत बुनकरों को आधुनिक तकनीकी प्रदान कर, उनके पुराने हथकरघा एवं पावरलूम को नवीन हथकरघों एवं पावरलूमों में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगारों को अपना स्वंय का बुनाई पेशा (हथकरघा /पावरलूम) अपनाकर रोजगार सृजन हेतु इस उद्योग में आने वाले इच्छुक नव युवकों एवं नव युवतियों को जोड़कर रोजगार से जोड़े जाने के उद्देश्य से भी यह योजना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी। इस योजना के संचालन में अपेक्षित धनराशि अनुदान सं0–83 के अर्न्तगत प्रदान की जायेगी। इस प्रकार **"झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना(एस0सी0पी0 )"** का कियान्वयन करने का प्रस्ताव है।

1– <u>योजना का नामः–</u> यह योजना **"झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना(एस0सी0पी0 )"** के नाम से संचालित की जायेगी।

2– <u>प्रस्तावना :–</u> प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग को प्रोत्साहित किया जाना नितान्त आवश्यक है। पुरानी तकनीक एवं परम्परागत हथकरघा एवं पावरलूमों के द्वारा उत्पादित हथकरघा एवं पावरलूम वस्त्रों की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती है तथा उत्पादन में भी कमी आती है। अच्छी गुणवत्ता के वस्त्र उत्पादित होने तथा उत्पादन में वृद्धि से हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों की आर्थिक स्थित में सुधार होगा। हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों की आर्थिक स्थित में सुधार लाने हेतु उच्च तकनीक वाले हथकरघा एवं पावरलूम स्थापित कराना आवश्यक है। इस योजना के माध्यम से हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को उन्नत किस्म के हथकरघा एवं पावरलूम प्रदान कर, उनके पुराने परम्परागत हथकरघा एवं पावरलूम को आधुनिक हथकरघा एवं पावरलूमों में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान किया जाना है। इसके अतिरिक्त इस उद्योग में आने के इच्छुक नव युवकों एवं नव युवतियों को इस रोजगार से जोड़कर रोजगार सृजन कराया जाएगा।

3– <u>योजना का उद्देश्यः–</u> प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों द्वारा संचालित पुराने एवं परम्परागत हथकरघा एवं पावरलूम के स्थान पर उच्चीकृत हथकरघा एवं पावरलूम स्थापित कराया जाना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरो के आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये उन्हें आधुनिक हथकरघा एवं पावरलूम संचालन हेतु प्रशिक्षित कराना है। हथकरघा एवं पावरलूम बुनकर वर्तमान भारतीय बाजार एवं वैश्विक मॉग के अनुरूप नये फैशन के परिवेश में नई डिजाइन एवं नये कलर कम्बीनेशन के वस्त्रों का उत्पादन कर सके इस उद्देश्य से प्रदेश में परम्परागत हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग को आधुनिक हथकरघा एवं पावरलूम में परिवर्तित कराने एवं अधिक से अधिक रोजगार सृजन कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा " **"झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना(एस0सी0पी0 )"** का कियान्वयन कराने का प्रस्ताव है। प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकर को आटोमेटिक/रैपियर लूम चलाने का तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त ही उन्नत तकनीकी के आटोमेटिक/रैपियर लूम स्थापित कर अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को अधिक से अधिक रोजगार सृजित कराकर उनके सामाजिक व आर्थिक जीवन स्तर में सुधार कराने हेतु योजना का संचालन किया जायेगा।

4– योजना का कार्यक्षेत्रः–

यह योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकर परिवारों के लिये संचालित की जायेगी जो हथकरघा एवं पावरलूम क्षेत्र के उत्पादन में निरन्तर अपना योगदान देते आ रहे हैं अथवा इस क्षेत्र में आकर अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं।

5– योजना के घटक एवं लाभार्थियों को देय धनराशिः–

प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों की वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए योजना को चार घटकों/मदों में बॉटा गया है।

(1) आधुनिक पावरलूम तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम

(2) उन्नत किस्म के हथकरघा एवं पावरलूम की स्थापना

(i) हथकरघा(फ्रेम अथवा पिटलूम आवश्यकतानुसार)

(ii) आटोमेटिक/रैपियर पावरलूम

(3) हथकरघा अथवा पावरलूम कार्यशाला का निर्माण

(1)आधुनिक पावरलूम तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रमः – योजनान्तर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकरों/पावरलूम संगठनों के बुनकरों अथवा इस उद्योग मे नये आने वाले नव युवकों /नव युवतियों को आधुनिक पावरलूम के संचालन, आधुनिक डिजाइन, एवं रंग संयोजन तकनीकी आदि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्था जैसे पावरलूम सर्विस सेन्टर अथवा निट्रा के माध्यम से कराया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रति प्रशिक्षणार्थी कुल धनराशि रू0 5000/– व्यय होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रति पावरलूम इकाई/समिति के अधिकतम 04 लाभार्थियों को प्रशिक्षित कराया जायेगा। इस हेतु रू0 20000/–की सहायता दी जायेगी। जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर को भी प्रशिक्षण मद का लाभ दिया जायेगा। इस हेतु एक बुनकर के प्रशिक्षण के लिये रू0 5,000/– सहायता देय होगी।

(2) उन्नत किस्म के हथकरघा एवं पावरलूम की स्थापना :–

योजनान्तर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकर अपनी आवश्यकतानुसार हथकरघा अथवा आटोमैटिक/रैपियर पावरलूम दोनो में से किसी एक का(जो जिससे सम्बन्धित है) लाभ प्राप्त कर सकता है।

(i) हथकरघा(फ्रेम अथवा पिटलूम क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार) :– हथकरघा बुनकरों को पिटलूम(सह उपकरणो सहित हेतु रू0 25000.00 की दर से 80 प्रतिशत अनुदान रू0 20,000.00 राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं शेष 20 प्रतिशत धनराशि रू0 5,000/–या वास्तविक क्रय हेतु अनुदान के अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी बुनकर समिति/संस्था/यूनिट द्वारा अपने निजी स्रोतो से वहन की जायेगी ), पिटलूम (जैकार्ड सह उपकरणो सहित) हेतु रू0 40000.00 की दर से 80 प्रतिशत अनुदान रू0 32,000.00 राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं शेष 20 प्रतिशत धनराशि रू0 8,000/– या वास्तविक क्रय हेतु अनुदान के अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी बुनकर समिति/संस्था/यूनिट द्वारा अपने निजी स्रोतो से वहन की जायेगी ),फ्रेम लूम (सह उपकरणो सहित हेतु रू0 40000.00 की दर से 80 प्रतिशत अनुदान रू0 32,000.00 राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं शेष 20 प्रतिशत धनराशि रू0 8,000/– या वास्तविक क्रय हेतु अनुदान के अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी बुनकर समिति/संस्था/यूनिट द्वारा अपने निजी स्रोतो से वहन की जायेगी ) उपरोक्तानुसार 80:20 के अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इकाई/हथकरघा समिति/स्वयं सहायता समूह

भूमि, भूमिधरी, पट्टे की अथवा आबादी की है। इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित लाभार्थी बुनकर से नोटरी शपथनामा पर लिया जायेगा।

6– कार्यान्वयन एजेन्सियों की पात्रता :–

योजनान्तर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की स्वामित्व वाली निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेन्सियां सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।

क– प्रदेश की प्राथमिक हथकरघा/ पावरलूम बुनकर सहकारी समितियॉः–
प्रदेश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ऐसी प्राथमिक हथकरघा /प्राथमिक पावरलूम सहकारी समितियॉ जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों एवं गत 3 वर्षो का आडिट पूर्ण हो/निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत हो ।

ख– पावरलूम एस0एस0आई0 यूनिटें:–
प्रदेश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की स्वामित्व वाली ऐसी हथकरघा /पावरलूम एस0एस0आई0 यूनिटें जो हथकरघा विभाग/उद्योग विभाग द्वारा कम से कम एक वर्ष पूर्व की पंजीकृत हो।

ग– पावरलूम बुनकर स्वयं सहायता समूह/पावरलूम सम्बन्धी ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुपः–
प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ऐसे हथकरघा /पावरलूम बुनकर स्वयं सहायता समूह/हथकरघा/पावरलूम सम्बन्धी ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप जो कम से कम एक वर्ष पूर्व से कार्य कर रहा हो, उसका बैंक खाता हो तथा समूह के सदस्यो का अंशदान नियमित जमा हो रहा हो एवं समूह से सम्बन्धी समस्त कागजात पूर्ण हो। (ऐसा हथकरघा/पावरलूम स्वयं सहायता समूह जिसकी कार्यशील पूँजी हेतु शाख सीमा ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत हो, को वरीयता प्रदान की जायेगी )

घ– व्यक्तिगत हथकरघा /पावरलूम बुनकर :– प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे व्यक्तिगत हथकरघा /पावरलूम बुनकर जो पुराने हथकरघा /पावरलूम पर अपने घर पर कार्य कर रहे हों अथवा ऐसे हथकरघा /पावरलूम बुनकर भी पात्र होगे जो दूसरे के यहॉ हथकरघा /पावरलूम पर बुनाई का कार्य कर रहे हो एवं उनके पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो और वह योजना का लाभ लेने की इच्छा रखता हो एवं योजना के अनुरूप स्वयं का अंशदान लगाने में सक्षम हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ऐसे नव युवकों एवं नव युवतियॉ जो इस उद्योग में अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक हों तथा अपना अंश लगाने मे सक्षम हों योजना के लिये पात्र होगें।

**ड– पावरलूम सहकारी समितियों/एस0एस0आई0यूनिटें/ पावरलूम बुनकर स्वयं सहायता /पावरलूम सम्बन्धी ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप के बुनकर/व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर :–**
पावरलूम सहकारी समिति/यूनिट/स्वयं सहायता समूह/ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप के बुनकर/व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के पास बिद्युत कनेक्शन एवं भूमि अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

7– लाभार्थी हथकरघा /पावरलूम बुनकर की पात्रताः–

1. हथकरघा /पावरलूम बुनकर की आयु 18 वर्ष से कम न हो और बुनाई कार्य से भिज्ञ हो। अथवा अपना नया रोजगार स्थापित करना चाहता हो।
2. बुनकर पावरलूम वस्त्र उत्पादन में कार्यरत हो। अथवा इस क्षेत्र में नया व्यवसाय करने का इच्छुक हो।

3. पावरलूम बुनकर के पास बुनकर परिचय पत्र/विद्युत विभाग द्वारा निर्गत पावरलूम कनेक्शन का प्रमाण हो।(नये स्वरोजगार के लिये लागू नही)
4. पावरलूम बुनकर/इच्छुक युवक/युवती के पास आधार कार्ड/ फोटोयुक्त वोटर कार्ड होना चाहिए। एवं सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र होना चाहिये।
5. भूमि/जमीन स्वयं कार्यान्वयन एजेन्सी के बुनकर/यूनिट के बुनकर/लाभार्थी बुनकर के स्वामित्व/ कब्जे की होनी चाहिए।
6. लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति का हो जिसकी पुष्टि हेतु जिलाधिकारी/तहसीलदार स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (जिसका आन लाइन सत्यापन किया जा सके) संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

8– (क) योजना का वित्तीय स्रोत (फण्डिंग पैटर्न पावरलूम बुनकरों के लिए )

(धनराशि लाख रू0 में)

| क0 | कार्यान्वयन एजेन्सी का नाम | योजना के घटक | लाभार्थी संख्या | निर्धारित दर प्रति लाभार्थी | राज्यांश | लाभार्थी अंश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | समिति/इकाई/ स्वयं सहायता समूह/ ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप | 1– आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण कार्यकम | 4 | 0.05 | 0.20 | यदि आवश्यकता हो तो आवश्यकतानुसार |
| | | 2– आटोमैटिक लूम (सटललेस लूम/रैपियर लूम सह उपकरण सहित) | 2 | 5.00(प्रति लूम) | 8.00(दो लूम हेतु) | 2.00 |
| | | 3–पावरलूम स्थापना हेतु कार्यशाला निर्माण | 2 | 1.25(प्रति कार्यशाला ) | 2.50(दो लूम हेतु) | भूमि एवं निर्माण की अतिरिक्त लागत की धनराशि |
| 2 | व्यक्तिगत बुनकर | 1– आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण कार्यकम | 1 | 0.05 | 0.05 | आवश्यकतानुसार |
| | | 2–आटोमैटिक लूम (सटललेस लूम/रैपियर लूम सह उपकरण सहित) | 1 | 5.00(प्रति लूम) | 4.00(एक लूम हेतु) | 1.00 |
| | | 3–पावरलूम स्थापना हेतु कार्यशाला निर्माण | 1 | 1.25(प्रति कार्यशाला ) | 1.25(एक लूम हेतु) | भूमि एवं निर्माण की अतिरिक्त लागत की धनराशि |

8–(ख) योजना का वित्तीय स्रोत (फण्डिंग पैटर्न हथकरघा बुनकरों के लिए )

(धनराशि लाख रू0 में)

| क0 | कार्यान्वय एजेन्सी का नाम | योजना के घटक | हथकरघों की संख्या | निर्धारित दर प्रति हथकरघा | राज्यांश | लाभार्थी अंश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | समिति/इकाई/ स्वयं सहायता समूह/ ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप /व्यक्तिगत बुनकर | 1– हथकरघा आपूर्ति( पिट लूम सह उपकरण सहित) | 4 | 0.25 | 0.80(चार हथकरघा हेतु) | 0.20 |
| | | अथवा ( पिट लूम जैकार्ड सहित) | 4 | 0.40 | 1.28(चार हथकरघा हेतु) | 0.32 |
| | | अथवा ( फ्रेम लूम सह उपकरण सहित) | 4 | 0.40 | 1.28(चार हथकरघा हेतु) | 0.32 |
| | | 2– हथकरघा स्थापना हेतु कार्यशाला निर्माण | 1(400 वर्ग फिट भूमि पर) | रू500(प्रति वर्ग फिट) | 2.00(चार हथकरघा हेतु) | भूमि एवं निर्माण की अतिरिक्त लागत की धनराशि |

9– "झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना(एस0सी0पी0 )' का प्रस्ताव तैयार करना :–

कार्यान्वयन एजेन्सी/ हथकरघा /पावरलूम बुनकर हेतु योजना के प्रारूप , दिशा–निर्देश, चेकलिस्ट आदि में उल्लिखित सभी शर्तो एवं पात्रता का गहन अध्ययन कर योजना का प्रस्ताव निर्दिष्ट निम्न प्रपत्रों/प्रमाण–पत्रों को संलग्न करते हुए तीन प्रतियों में तैयार कर सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा के कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।

1. "झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना(एस0सी0पी0 )'योजना की चेक लिस्ट संलग्न है।
   संलग्नक– "क"
2. कार्यान्वयन एजेन्सी का ब्यौरा संलग्न है। संलग्नक– "ख"
3. योजना प्रस्ताव का प्रोफार्मा संलग्न है। संलग्नक– "ग"
4. योजना का वित्तीय स्रोत संलग्न है। संलग्नक– "घ"
5. योजना के प्रस्ताव में उन्हीं मदों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है जिनमें इसके पूर्व के तीन वर्षो के अन्दर प्रदेश सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभार्थी को आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है अर्थात दोहरीकरण नहीं हो रहा है। इस आशय का प्रमाण पत्र परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा स्वयं दिया जायेगा।
6. कार्यान्वयन एजेन्सी के कदाचार में लिप्त न होने तथा समग्ररूप से पात्र होने सम्बन्धी परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. कार्यान्वयन एजेन्सी के बकाऐदार न होने का परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

8. कार्यशाला निर्माण मद के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार कार्यान्वयन एजेन्सी/लाभार्थी बुनकर के पास स्वयं के स्वामित्व की जमीन/भूमि है, का स्थलीय निरीक्षण/अवलोकन के पश्चात प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है सम्बन्धित परिक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

9. आटोमेटिक पावरलूम/सटललेस लूम/रैपियर लूम की खरीद एवं कार्यशाला निर्माण मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से अधिक धनराशि व्यय होती है तो कार्यान्वयन एजेन्सी/कार्यान्वयन एजेन्सी का बुनकर/ व्यक्तिगत लाभार्थी बुनकर बैंक ऋण द्वारा अथवा स्वयं अपने संसाधनों से वहन करेगा,का आकलन करने के उपरान्त ही परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्तों द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कराया जायेगा। लाभार्थी को इस आशय का शपथ–पत्र भी देना होगा कि अतिरिक्त धनराशि वह अपने स्रोतो से वहन करने में सक्षम है।

10–<u>योजनान्तर्गत प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण</u> :–

कार्यान्वयन एजेन्सी, परियोजना प्रस्ताव तैयार कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् परिक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति एवं भौतिक सत्यापन/परीक्षण आदि की कार्यवाही पूर्ण कर सन्तुष्ट हो जाने के पश्चात् योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति के स्तर पर समीक्षा/परीक्षण कर संस्तुति किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

<u>जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति</u> :– जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति निम्नवत् होगी।

1. मुख्य विकास अधिकारी ........................ अध्यक्ष
2. उप आयुक्त जिला उद्योग केन्द्र........................ सदस्य
2. सम्बन्धित जनपद के रेशम विभाग/खादी ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि................ सदस्य
3. सम्बन्धित जनपद के निकटतम पावरलूम सर्विस सेन्टर/ निट्रा का प्रतिनिधि.............................. सदस्य
4. सम्बन्धित जनपद के दो हथकरघा /पावरलूम बुनकर/स्थानीय पावरलूम एसोसिएशन के प्रतिनिधि............ सदस्य
5.. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा ............सदस्य/सचिव

योजना के सफल कियान्वयन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति, परियोजना मदों में वांछित सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्वयं निर्णय लेगी कि लाभार्थी बुनकरों की आवश्यकतानुसार उन्हें इस सुविधा का लाभ दिया जाये अथवा नहीं और परियोजना प्रस्तावों पर सम्यक विचार करते हुए निर्धारित मदवार, लाभार्थी संख्या, राज्यांश, बुनकर अंश/कार्यान्वयन एजेन्सी का अंश आदि विवरण के साथ प्रत्येक योजना के प्रस्तावों के परीक्षण/निरीक्षण/समीक्षा कर उस पर अपना अभिमत अंकित कर संस्तुति करेगी। तदपरान्त बैठक की कार्यवृत्त की छायाप्रति प्रत्येक योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा दो प्रतियों में निदेशालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

<u>राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति</u>:– जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति की संस्तुति के उपरान्त निदेशालय को प्राप्त हथकरघा/ पावरलूम प्रस्तावों का निदेशालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त उचित पाये गये योजना के प्रस्ताव

/ज्वाइंट लाइबिल्टी ग्रुप / व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर को अधिकतम 04 हथकरघा कय करने हेतु लाभ प्रदान किया जायेगा।

**(ii) आटोमैटिक पावरलूम(सटललेस लूम/रैपियर लूम):–** आटोमैटिक पावरलूम/सटललेस लूम/रैपियर लूम की अनुमानित बाजार दर रू0 5,00,000/– है। पावरलूम बुनकरों को आटोमैटिक पावरलूम / सटललेस लूम/रैपियर लूम कय करने हेतु रू0 4,00,000/– प्रति पावरलूम (80 प्रतिशत) अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। शेष धनराशि रू0 1,00,000/– ( 20 प्रतिशत) अथवा आटोमैटिक पावरलूम के वास्तविक कय हेतु अनुदान के अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी पावरलूम बुनकर समिति/संस्था/यूनिट द्वारा अपने निजी स्रोतो से वहन की जायेगी। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक पावरलूम इकाई/समिति/स्वयं सहायता समूह /ज्वाइंट लाइबिल्टी ग्रुप को अधिकतम 02 आटोमैटिक पावरलूम/ सटललेस लूम/रैपियर लूम कय करने हेतु लाभ प्रदान किया जायेगा। व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर (एक बुनकर) को 01 आटोमैटिक पावरलूम/ सटललेस लूम/रैपियर लूम खरीद करने का लाभ प्रदान किया जायेगा।

**(3) हथकरघा अथवा पावरलूम स्थापना हेतु कार्यशाला का निर्माण :–**

कार्यशाला निर्माण हेतु हथकरघा अथवा आटोमैटिक पावरलूम/सटललेस लूम/रैपियर लूम की स्थापना के लिए निम्न विवरणानुसार वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(धनराशि लाख रू में)

| क0 सं0 | मद का नाम | दर प्रति वर्ग फिट | न्यूनतम आवश्यक भूमि(वर्ग फिट) | राज्यांश | बुनकर अंश |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हथकरघा हेतु<br>हथकरघा समिति/स्वयं सहायता समूह /ज्वाइंट लाइबिल्टी ग्रुप / व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर हेतु कार्यशाला | 500/ | 400(चार हथकरघों की स्थापना हेतु) | 2.00 | भूमि एवं अतिरिक्त व्यय की धनराशि |
| 2. | पावरलूम हेतु<br>(क)पावरलूम इकाई/पावरलूम समिति/स्वयं सहायता समूह /ज्वाइंट लाइबिल्टी ग्रुप हेतु कार्यशाला | 500/ | 500(दो पावरलूम की स्थापना हेतु) | 2.50 | भूमि एवं अतिरिक्त व्यय की धनराशि |
| | (ख)व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर हेतु कार्यशाला | 500/ | 250(एक पावरलूम की स्थापना हेतु) | 1.25 | भूमि एवं अतिरिक्त व्यय की धनराशि |

**हथकरघा अथवा पावरलूम स्थापना हेतु कार्यशाला के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता :–** कार्यशाला निर्माण हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि भूमि पर अधिकार/ मिल्कियत/ स्वामित्व लाभार्थी बुनकर/ बुनकर संस्था का ही है, इसकी पुष्टि सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा स्थलीय सत्यापन कर की जायेगी। लाभार्थी बुनकर के पास दर्शायी गयी भूमि, स्वयं की

राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति के समक्ष अनुमोदन/स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति निम्नवत् होगी।

1– आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उ0प्र0,कानपुर ........................................ अध्यक्ष
2– प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम................ सदस्य
3– प्रबन्ध निदेशक,यूपिका ................ सदस्य
4– सहायक प्रबन्धक,पावरलूम सर्विस सेन्टर/निट्रा कानपुर......... सदस्य
5– वित्त नियंत्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0,कानपुर............ सदस्य
6– संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उ0प्र0, .........................सदस्य
7– योजनाधिकारी,हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उ0प्र0,कानपुर..सदस्य/सचिव

उपरोक्तानुसार योजना के सफल कियान्वयन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये हथकरघा/ पावरलूम प्रोजेक्ट पर जिला स्तरीय कमेटी की संस्तुति के उपरान्त प्रस्तावों को आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त उचित पाये जाने पर प्रस्तावों पर अनुमोदन/संस्तुति प्रदान की जायेगी। निदेशालय स्तर से राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति से अनुमोदित/स्वीकृत प्रस्तावों का मदवार संकलित विवरण तैयार कर प्रस्तावों के सापेक्ष धनराशि स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

11– <u>योजना का अनुश्रवण</u> :– पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हथकरघा /पावरलूम बुनकरों के चयन एवं योजना तैयार कराकर प्रस्तुत कराने के साथ–साथ योजना को पारदर्शी तरीके से कियान्वित कराकर उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषण आदि का अनुश्रवण परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा किया जायेगा।

12– <u>योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था</u>:– योजना के कियान्वयन हेतु हथकरघा /पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराने के लिये वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं आगामी वित्तीय वर्षो के लिये बजट व्यवस्था अनुदान सं0–83 के अर्न्तगत बजट प्राविधान कराकर की जायेगी। परिक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों में से उपयुक्त/पात्रता की श्रेणी में पाये गये प्रस्तावों के अनुसार शासन से बजट की स्वीकृति हेतु मॉग की जायेगी। शासन द्वारा धनराशि की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशालय स्तर से किया जायेगा। कोषागार से आहरित धनराशि को लाभार्थी इकाई/बुनकर के खाते में नेफ्ट/आर0टी0जी0एस0/ पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भेजी जायेगी।

13–<u>योजना के कियान्वयन सम्बन्धी दिशा–निर्देश</u>:–

1. प्रशिक्षण का कार्य किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्था जैसे–पावरलूम सर्विस सेन्टर/निट्रा द्वारा कराया जायेगा।
2. प्राथमिक पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों या पावरलूम यूनिट को प्रशिक्षण मद में प्राप्त धनराशि परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की संस्तुति पर प्रशिक्षण देने वाली संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा और उन्हीं के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण मद की धनराशि आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।
3. आटोमेटिक पावरलूम / सटललेस लूम/रैपियर लूम, कय हेतु लाभार्थी बुनकर का अंश कार्यान्वयन एजेन्सी के खाते में जमा होने के पश्चात ही परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा राज्यांश की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर की दशा में बुनकर अंश योजना संचालन हेतु खोले गये खाते में जमा होने के पश्चात परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा राज्यांश की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा

टेक्नालोजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (टफ्स)/एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अपग्रेडशन फण्ड स्कीम (एटफ्स) के अन्तर्गत चिन्हित आटोमेटिक पावरलूम/ सटललेस लूम/रैपियर लूम का निर्माण करने वाली किसी भी फर्म से आपूर्ति ली जायेगी। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चिन्हित पावरलूम निर्माण फर्म के अतिरिक्त विभाग द्वारा पूर्व में संचालित पावरलूम उद्योग का विकास (एस0सी0पी0) योजना में चिन्हित फर्मो के अतिरिक्त अन्य किसी फर्म से पावरलूम की आपूर्ति नहीं ली जायेगी। योजनार्न्तगत आयातित नये रैपियर लूम की खरीद की जा सकती है।हथकरघा बुनकरों के लिये हथकरघा की आपूर्तिस्थानीय स्तर पर उपलब्ध उपयुक्त फर्म से की जायेगी।

4. कार्यान्वयन एजेन्सी को योजना मदों में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि लाभार्थी बुनकर/ एजेन्सी के खाते में निदेशालय स्तर से सीधे NEFT/ RTGS/ PFMS द्वारा जमा करायी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय सम्बन्धी कार्यवाही परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा के पर्यवेक्षण एवं सहमति से किया जायेगा। प्रोजेक्ट प्रेषण के साथ ही कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा अपना बैंक खाता संख्या एवं अन्य विवरण सम्बन्धित सहायक आयुक्त हथकरघा (परिक्षेत्रीय कार्यालय) को प्रस्तुत किया जायेगा।
5. कार्यशाला निर्माण हेतु लाभार्थी बुनकर को स्वीकृत धनराशि योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी। यदि कार्यशाला निर्माण की लागत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता से आधिक आती है तो अतिरिक्त धनराशि को स्वयं लाभार्थी बुनकर/संस्था द्वारा अपने संशाधनों अथवा बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेकर वहन करना होगा। लाभार्थी बुनकर कार्यशाला हेतु स्वीकृत अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त में बैंक खाते से आहरित करेगा। आधा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर शेष 50 प्रतिशत धनराशि द्वितीय किश्त में आहरित करेगा। निर्माण कार्य को पूर्ण करने के उपरान्त शतप्रतिशत धनराशि के व्यय की पुष्टि कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा की जायेगी जिसका सत्यापन सम्बन्धित परिक्षेत्र के **औद्योगिक पर्यवेक्षक/वस्त्र निरीक्षक /सहायक आयुक्त हथकरघा** द्वारा किया जायेगा। कम से कम 20 प्रतिशत कार्यशालाओं का सत्यापन स्वयं सम्बन्धित सहायक आयुक्त द्वारा किया जायेगा। कार्यशाला का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यशाला पर योजना का नाम, बुनकर का नाम व निर्माण वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित कराया जायेगा। कार्यशाला के साथ बुनकर का फोटोग्राफ उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
6. योजना का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर उसमें सम्मिलित किसी एक मद का समर्पण स्वीकार नहीं होगा। यदि समर्पण करना आवश्यक हो तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त मदों की सम्पूर्ण धनराशि समर्पित की जायेगी । अपवाद के रूप में यदि किसी मद की धनराशि को समर्पित करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके उपयोग न हो पाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए निदेशालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित मद की धनराशि समर्पित की जायेगी।
7. लाभार्थी बुनकरों/कार्यान्वयन एजेन्सी के द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के एक मद अथवा अधिक मदो में धनराशि का दुरूपयोग किये जाने की स्थिति में योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भॉति 12 प्रतिशत ब्याज सहित लाभार्थी संस्था/बुनकर से की जायेगी।
8. लाभार्थी बुनकरों/कार्यान्वयन एजेन्सी के खाते में जमा करायी गयी योजना के मदों में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग स्वीकृत मद में ही किया जायेगा। योजना का कियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा/सम्बन्धित कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेन्सी का होगा

। योजना के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में कार्यान्वयन एजेन्सी/परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं सम्बन्धित विभागीय कर्मचारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

9. प्रत्येक घटक के अन्तर्गत वास्तविक प्रगति रिपोर्ट(भौतिक एवं वित्तीय) परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।
10. कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रारूप– 42 ( I ) प्रेषित करने के पूर्व समस्त बिल, वाउचर एवं प्रगति प्रतिवेदन का सी0ए0 द्वारा आडिट कराया जायेगा। समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा कार्यालय में प्रेषित की जायेगी। सम्बन्धित औद्योगिक पर्यवेक्षक व वस्त्र निरीक्षक द्वारा प्रत्येक बिल वाउचर आदि का भौतिक सत्यापन करने के बाद परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा पूर्ण संतुष्ट हो जाने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण– पत्र निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ–साथ योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर की छायाप्रति परिक्षेत्रीय कार्यालय में रखी जायेगी।
11. योजना का कार्यान्वयन दो वित्तीय वर्षो में पूर्ण कर लिया जायेगा।
12. राज्य सरकार को निर्धारित प्रारूप– 42 ( I ) पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियॉ जैसे नया पावरलूम, नया हथकरघा एवं कार्यशाला का 7 वर्षो तक बिक्री/ हस्तानान्तरण/लीज नहीं किया जा सकेगा।